न्यायालयः अपर जिला जज प्रथम, हापुड़।
उपस्थितः– हनी गोयल (उच्चतर न्यायिक सेवा) (UP2408)
सत्र परीक्षण संख्या– 15/2019
सरकार बनाम राशिद पुत्र मौजू (मुख्य पत्रावली)
CNR No. UPHP010004372019

मु०अ०सं०– 69/2018
अंतर्गत धारा– 398, 401 भा०दं०सं०।
थाना धौलाना, जिला हापुड़।

एवं

सत्र परीक्षण संख्या– 16/2019
सरकार बनाम राशिद पुत्र मौजू (संबंधित पत्रावली)
CNR No. UPHP010004382019

मु०अ०सं०– 70/2018
अंतर्गत धारा– 25 आर्म्स एक्ट।
थाना धौलाना, जिला हापुड़।

आदेश

दिनांकः– 03.08.2026

पत्रावली पेश हुई। पुकार करायी गयी। अभियुक्त राशिद पुत्र मौजू अनुपस्थित।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रकरण में लगातार कई नियत दिनांकों पर अभियुक्त राशिद पुत्र मौजू के गैर जमानती वारण्ट जारी किये गये, परन्तु अभियुक्त न्यायालय में उपस्थित नहीं आया। तत्पश्चात अभियुक्त के विरुद्ध धारा 82 दं०प्र०सं० की कार्यवाही हेतु प्रोसेस जारी किये गये तथा धारा 82 दं०प्र०सं० की कार्यवाही भी पूर्ण हो चुकी है, परन्तु अभियुक्त राशिद पुत्र मौजू न्यायालय में उपस्थित नहीं आया। इसके अतिरिक्त प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्त के लगातार अनुपस्थित रहने के कारण जामिनान के विरुद्ध धारा 446 दं०प्र०सं० की कार्यवाही भी अमल में लायी जा चुकी है। बार–बार पत्राचार करने के बावजूद भी संबंधित थाना पुलिस द्वारा अभियुक्त को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है।

प्रस्तुत प्रकरण में घटना वर्ष 2018 की है तथा पत्रावली लगभग 08 वर्षों से लंबित है। अभियुक्त राशिद पुत्र मौजू के विरुद्ध माह अगस्त 2019 से गैर जमानती वारण्ट जारी किये जा रहे हैं, परन्तु करीब 7 वर्षों में संबंधित थाना की पुलिस द्वारा अभियुक्त को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया। अभियुक्त लगातार फरार चल रहा है। उक्त परिस्थितियों से स्पष्ट है कि अभियुक्त राशिद पुत्र मौजू का निकट भविष्य में पकड़ा जाना व गिरफ्तार किया जाना संभव प्रतीत नहीं दिख रहा है। तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त को फरार मानते हुए अभियुक्त राशिद पुत्र मौजू के विरुद्ध स्थायी वारण्ट जारी किये जाते हैं।

पुलिस अधीक्षक, हापुड़ को आदेशित किया जाता है कि यदि भविष्य में अभियुक्त राशिद पुत्र मौजू को स्थायी गैर जमानतीय वारण्ट पर गिरफ्तार किया जाता है तो वह उसे न्यायालय में उपस्थित कराना सुनिश्चित करेंगे। अभियुक्त राशिद पुत्र मौजू के बाबत आदेश की प्रति मय स्थायी गैर जमानतीय वारण्ट, पुलिस अधीक्षक, हापुड़ एवं संबंधित थानाध्यक्ष को वास्ते अनुपालनार्थ प्रेषित हो।

इसके अतिरिक्त पत्रावली पर लाल स्याही से अंकित किया जाए कि अभियुक्त के विरुद्ध स्थायी गैर जमानती वारण्ट जारी किया गया है। भविष्य में पत्रावली न्यायालय के अग्रिम आदेश तक Weed out नहीं होगी तथा पत्रावली के समस्त दस्तावेज विनिष्ट नहीं किये जायेंगे। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

आदेश की एक प्रति संबंधित पत्रावली पर रखी जावे।

दिनांकः– 03.08.2026

(हनी गोयल)
(J.O. Code:– UP2408)
अपर जिला जज प्रथम,
हापुड़।

Honey Goel

Digitally signed by HONEY GOEL
Date: 2026.08.10 10:46:44 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court